संख्या-9/2025/1/60-1-2025

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 29 जनवरी, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-674/निदे0म0क0/लेखा-बजट/2024-25, दिनांक 15.01.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत बाल कल्याण समिति के अन्तर्गत (के0+रा0) रू0 1025.08 लाख, विशेषीकृत यूनिट हेतु (के0+रा0) रू0 145.20 लाख, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण हेतु (के0+रा0) रू0 180.83 लाख, संस्थानों एवं गृहों के संचालन के अन्तर्गत (के0+रा0) रू0 1120.54 लाख, बाल संरक्षण ईकाई की स्थापना के अन्तर्गत (के0+रा0) हेतु 879.16 लाख तथा स्वै0सं0 के माध्यम से संचालित गृहों हेतु (के0+रा0) रू0 182.60 लाख अर्थात कुल रू0 3533.41 लाख (रुपये पैंतीस करोड़ तैंतीस लाख इकतालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष:2235021020106 (बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.35/रा.65 के.)	07 मानदेय	6,15,05,000 (रुपये छह करोड़ पन्द्रह लाख पाँच हजार मात्र)
	कुल			**6,15,05,000 (रुपये छह करोड़ पन्द्रह लाख पाँच हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021020110 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
2	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	39 औषधि तथा रसायन	12,96,000 (रुपये बारह लाख छियानबे हजार मात्र)
4	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.)	41 भोजन व्यय	2,16,000 (रुपये दो लाख सोलह हजार मात्र)
	कुल			**87,12,000 (रुपये सत्तासी लाख बारह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	68,20,000 (रुपये अड़सठ लाख बीस हजार मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.)	41 भोजन व्यय	40,48,000 (रुपये चालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)
	कुल			**1,08,68,000 (रुपये एक करोड़ आठ लाख अड़सठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021020114 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के..60/रा.40 के.+रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020114 किशोर न्याय अधिनियम के	61 केन्द्र प्रायोजित	3,44,95,000 (रुपये तीन करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के..60/रा.40 के.+रा.)	योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	चौवालीस लाख पंचानबे हजार मात्र)
	कुल			**3,44,95,000 (रुपये तीन करोड़ चौवालीस लाख पंचानबे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021020115 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	08 कार्यालय व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
2	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	09 विद्युत देय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
3	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
4	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	59,50,000 (रुपये उनसठ लाख पचास हजार मात्र)
5	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	1,80,00,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)
6	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख

http://shasanadesh.up.gov.in

		स्थापना (के.60/रा.40-के.)	का क्रय	मात्र)
7	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र)
8	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,65,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र)
	कुल			**5,27,50,000 (रुपये पाँच करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020117 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020117 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.30/स्वै.10-के.+रा.+स्वै.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	80,76,000 (रुपये अस्सी लाख छिहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**80,76,000 (रुपये अस्सी लाख छिहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021028906 (बाल कल्याण समिति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028906	07	4,10,03,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		बाल कल्याण समिति	मानदेय	(रुपये चार करोड़ दस लाख तीन हजार मात्र)
	कुल			**4,10,03,000 (रुपये चार करोड़ दस लाख तीन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021028910 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
2	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
3	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	39 औषधि तथा रसायन	8,64,000 (रुपये आठ लाख चौंसठ हजार मात्र)
4	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	41 भोजन व्यय	1,44,000 (रुपये एक लाख चौवालीस हजार मात्र)
	कुल			**58,08,000 (रुपये अट्ठावन लाख आठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021028912 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
2	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण	41 भोजन व्यय	27,15,000 (रुपये सत्ताईस लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		अभिकरण		पन्द्रह हजार मात्र)
	कुल			**72,15,000 (रुपये बहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021028914 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028914 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	7,75,59,000 (रुपये सात करोड़ पचहत्तर लाख उनसठ हजार मात्र)
	कुल			**7,75,59,000 (रुपये सात करोड़ पचहत्तर लाख उनसठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028915 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	08 कार्यालय व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
2	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	09 विद्युत देय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई	16 व्यावसायिक तथा विशेष	39,66,000 (रुपये उनतालीस लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		की स्थापना	सेवाओं के लिए भुगतान	छियासठ हजार मात्र)
5	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	42 अन्य व्यय	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
6	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
7	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
8	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
	कुल			**3,51,66,000 (रुपये तीन करोड़ इक्यावन लाख छियासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021028917 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028917 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,01,84,000 (रुपये एक करोड़ एक लाख चौरासी हजार मात्र)
	कुल			**1,01,84,000 (रुपये एक करोड़ एक लाख चौरासी हजार मात्र)**
महायोग				**35,33,41,000 (रुपये पैंतीस करोड़ तैंतीस लाख इकतालीस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-185-X-2024-25, दिनांक:29-01-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-9/2025/1(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।